

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध) राजस्थान, जयपुर ।

कमांक-स-9 अप/अन्वे/पीसीआर/सीआईडी/सीबी/06/ 592-93

दिनांक- 3-11-09

उप शासन सचिव,  
गृह (मानवाधिकार) विभाग,  
राजस्थान सरकार,  
जयपुर।

विषय- स्वप्रेरित सोऊ-मोटू प्रसंज्ञान बाबत भ्रूण हत्या के संबंध में डॉक्टरों के विरुद्ध शिकायत व पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कैसेज की सूचना भिजवाने के संबंध में।  
प्रसंग- आपके कार्यालय के पत्रांक प-2 (35) एचएचआर/06/जयपुर दि० 26.10.09 की अनुपालना में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट के 9 लम्बित अभियोगों के संबंध में अभियोगों के सामने दर्शायेनुसार निम्न निर्णय लिया गया है-

क्रम सं.	अभियोग संख्या	धारा	थाना व जिला	लिया गया निर्णय
1	205/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	भीमगंजमण्डी कोटाशहर	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
2	184/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	कोतवाली धौलपुर	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
3	182/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	झालरापाटन झालावाड़	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
4	142/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	किश्चियनगंज, अजमेर	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
5	287/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	कोतवाली चित्तौडगढ	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
6	129/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	आबूरोड, सिरौही	एफआर (अदमवकू) नाकाबिल दस्तनदाजी पुलिस
7	198/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	सुभाषनगर भीलवाड़ा	अनुसंधान जारी है।
8	288/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	कोतवाली चित्तौडगढ	अनुसंधान जारी है।
9	226/06	312, 315, 316, 511 भादसं. व 23 (1) (3), 26 पीसी पीएनडीटी एक्ट	मानटाऊन सवाईमाधोपुर	अनुसंधान जारी है

उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय)  
सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर।

प्रतिलिपि- शासन सचिव (प.क.) एवं अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी (पीसीपीएनडीटी) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि क्रम सं. 3 व 6 पर दर्शाये गये अभियोगों में संबंधित चिकित्सा अधिकारी से इस्तगासा न्यायालय में प्रेषा कराने का श्रम करें।

उप महानिरीक्षक पुलिस (द्वितीय)  
सीआईडी (सीबी) राज. जयपुर।